न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 38/2021 **दायर दिनांकः 25/08/2021**

उनवान

1. रामनारायण आयु 67 वर्ष पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेडा तहसील अटरू जिला बारा (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—
प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर।

आदेश **दिनाकः 27/09/2021**

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है, कि वाके ग्राम एवं माल हानिहेडा तहसील अटरू की खाता संख्या 92 की ख0नं0 145 रकबा 2.04 है0, ख0 नं0 373 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 374 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 377/730 रकबा 0.15 है0, ख0 नं0 380 रकबा 0.75 है0, ख0नं0 381 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 382 रकबा 1.16 है0, ख0नं0 353 रकबा 0.01 है0, ख0 नं0 529 रकबा 3.30 है0 किता 9 रकबा 8.73 है0 आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रार्थी का नाम नारायणलाल पुत्र प्रभुलाल दर्ज है। जो गलत नाम है। नकल जमाबन्दी संवत् 2072—2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। ग्राम एवं माल हानिहेडा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 91 की ख0नं0 106/785 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 107 रकबा 098 है0, ख0नं0 116 रकबा 0.86 है0, ख0नं0 428 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 530 रकबा 0.99 है0, किता 5 रकबा 2.96 है0 आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रार्थी का सही नाम रामनारायण पुत्र प्रभुलाल दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। प्रार्थी का राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:43 IST
Reason: SelfAttested

डायरी अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम रामनारायण पुत्र प्रभुलाल दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का गलत नाम नारायणलाल पुत्र प्रभुलाल दर्ज होने की वजह से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। तथा सरकार की योजना के लाभ से वंचित होना पड रहा है। इसलिए प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में नारायणलाल पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा के स्थान पर दुरूस्त करवाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 में वर्णित आराजी व प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 में वर्णित दस्तावेजात के अनुसार रामनारायण पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड निवासी हानीहेडा दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिसे बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता है। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित होने एवं सुविधा का सन्तुलन एवं न्याय का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम नारायाणलाल पुत्र प्रभुलाल को दुरूस्त कर रामनारायण पुत्र प्रभुलाल दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 से pw 3 के शपथ पत्र पेश किये गये।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम नारायाणलाल पुत्र प्रभुलाल को दुरूस्त कर रामनारायण पुत्र प्रभुलाल दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करें।

रिकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075 ग्राम हानीहेडा की खाता संख्या 92 कुल किता [illegible] 8.73 है0 में प्रार्थी का नाम सहखातेदार के रूप में नारायणलाल पुत्र प्रभुलाल हि0 1/3 द[illegible] तथा खाता सं0 91 की कुल किता 5 रकबा 2.96 है0 में प्रार्थी का नाम सहखातेदार रामनारायण पुत्र प्रभुलाल हि0 1/5 दर्ज रिकार्ड है।

अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, बडौदा राजस्थान क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई की पास बुक में प्रार्थी का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:43 IST
Reason: SelfAttested

रामनारायण पुत्र प्रभुलाल दर्ज है तथा ग्राम पंचायत बरला के प्रमाण पत्र दिनांक 21.08.2021 अनुसार नारायणलाल पुत्र प्रभुलाल तथा रामनारायण पुत्र प्रभुलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल हानिहेडा तहसील अटरू की खाता संख्या 92 की ख0नं0 145 रकबा 2.04 है0, ख0 नं0 373 रकबा 1.10 है0, ख0नं0 374 रकबा 0.21 है0, ख0नं0 377/730 रकबा 0.15 है0, ख0 नं0 380 रकबा 0.75 है0, ख0नं0 381 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 382 रकबा 1.16 है0, ख0 नं0 353 रकबा 0.01 है0, ख0 नं0 529 रकबा 3.30 है0 किता 9 रकबा 8.73 है0 में सहखातेदार नारायणलाल पुत्र प्रभुलाल के स्थान पर रामनारायण पुत्र प्रभुलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:58:43 IST
Reason: SelfAttested